

-- विज्ञप्ति --

(धारा 48(2)(ख) सपठित नियम 28(ग)(दो)(ग) सपठित नियम 56)

विज्ञप्ति संख्या-4997/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/प्रवर्तन-अनु0/2012-13/दे0दून, दिनांक 27 फरवरी, 2013 को विखण्डित करते हुए आदेशित किया जाता है कि-

(1) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2005 (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005- समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-48(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 28(ग)(दो)(ग) के अन्तर्गत यह प्राविधानित किया जाता है कि, आयातकर्ता द्वारा राज्य के बाहर से राज्य के अन्दर माल का आयात करने के लिए प्रयोग किये गये फार्म-XVI (मूल एवं द्वितीय प्रतियाँ), इन्वाइस/चालान/इसी प्रकार के अन्य प्रपत्रों को ऐसी अवधि के लिए सुरक्षित रखा जायेगा, जो कारबार के दौरान रखे गये लेखों को सुरक्षित रखे जाने हेतु उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा-61 में निर्धारित है; तथा

(2) प्रान्त के बाहर से माल का आयात करने की दशा में "आयातकर्ता" द्वारा फार्म-XVI की मूल प्रतियों को एवं फार्म-XVIII(D) में आयात सम्बन्धी सूचना को, निम्न शीति एवं समय-सीमा के अनुसार, सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना निर्धारित किया जाता है :-

क्र० सं०	शीति	अवधि (जिसके सम्बन्ध में सूचना दी जानी है)	समय-सीमा	समय-सीमा (फार्म-XVI की मूल प्रतियाँ, सूची सहित प्रस्तुत करने हेतु)
1	सूचना विभागीय वेबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर, ऑन लाईन submit किया जायेगा।	माल प्राप्ति से सम्बन्धित माह।	अगले माह की 10 तारीख तक अथवा अगला फार्म-18 प्राप्त करने हेतु दाखिल किये जाने वाले प्रार्थना पत्र तक, इनमें से जो पूर्ववर्ती हो।	सम्बन्धित त्रैमास के अगले माह के अन्त तक।
2	यदि आयातकर्ता आयरन एण्ड स्टील अथवा सीमेंट का ट्रेडर है अथवा खाद्य तेल का ट्रेडर है और टैंकरो से उसका आयात करता है। सूचना विभागीय वेबसाइट http://comtax.uk.gov.in पर, ऑन लाईन submit किया जायेगा।	माल प्राप्ति का सम्बन्धित दिन	माल प्राप्ति के दिन से अगले 07 दिन तक	सम्बन्धित "पक्ष" के अगले 05 दिनों के अन्दर अथवा अगला फार्म-18 प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र तक, जो पूर्ववर्ती हो।

यह विज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

संलग्न-निर्धारित फार्म-XVIII(D)/
फार्म-XVI Declaration Sheet।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं०6146 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रनगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

FORM-XVIII(D)
 "Form-16 Declaration Sheet"
 (See Sub rule (2) (c) of rule 26 C)

- 01- TIN of the Dealer
- 02- Office Code of Sector/Range
- 03- Period of Information - From dateto date
- 04- Name of the Dealer

Sl. No	Series of Form 16	Serial of Form 16	Name of Seller/Consignor	Address of Seller/Consignor	State of Seller/Consignor	Invoice No.	Invoice Date	Amount	Quantity / Weight	Description of Goods	Date on which Purchase/ Receipt Accounted for	Remarks

I, S/o
 and verify that the information and particulars given in this return are true and complete and nothing has been wilfully omitted or wrongly stated and that all the required annexure and challans are enclosed/attached.

Declaration

Sign. of Auth. Signatory.....
 Name of Auth. Signatory.....
 Father's Name.....
 Status Code of Auth. Signatory.....

Date.....